कृषि उत्पादन मण्डी समिति सिकन्द्राराऊ (हाथरस)

मण्डी समितियों की विकास योजनाएँ एवं जनकल्याणकारी योजनाऐं

मण्डी समितियाँ सतत् अनुक्रम वाली निगमित निकाय है। अधिनियम के प्राविधानानुसार क्रेता व्यापारी से निर्दिष्ट कृषि उत्पाद के क्रय–विक्रय पर 2 प्रतिशत की दर से मण्डी शुल्क तथा 0.5 प्रतिशत की दर से विकास सेस वसूल करती है मण्डी समितियों को मण्डी शुल्क एवं विकास सेस के रूप में 90 प्रतिशत आय प्राप्त होती है। अर्जित आय से स्थापना व्ययों के अतिरिक्त विभिन्न विकास योजनाओं तथा कल्याणकारी योजनाओं में व्यय किया जाता है। मण्डी समितियों की मुख्य विकास योजनायें तथा कल्याणकारी योजनायें इस प्रकार हैं :–

(क) मण्डी स्थलों के निर्माण व विकास :

मण्डी समितियों की पहली प्राथमिकता मण्डी स्थलों के निर्माण की है जिससे कृषि जिन्सों के थोक व्यापार को एक परिसर में लाकर मण्डी अधिनियम के प्राविधानों को प्रभावी ढंग से लागू कराया जा सके । जिन स्थानों पर मण्डी स्थल निर्माण हेतु उपयुक्त भूमि प्राप्त हो जाती है, वहां पर मण्डी सथल निर्माण कराकर व्यापारियों तथा कृषकों दोनों के हित में व्यापार स्थानान्तरण कराया जाता है। प्रदेश में अब तक मण्डी परिषद द्वारा 198 मुख्य मण्डी स्थल, 77 उपमण्डी स्थल, 64 फल–सब्जी मण्डी स्थल, 244 हाट–पैठ एवं 05 मत्स्य बाजार तथा 04 दुग्ध मण्डियों का निर्माण पूरा कराया जा चुका है।

वित्तीय वर्ष 2006–2007 में मण्डी स्थलों के विकास/अनुरक्षण हेतु रू. 142.71 करोड़ की धनराशि प्राविधानित है। उपमण्डी स्थल भोगाँव एवं कुरावली का निर्माण कार्य स्वीकृत कर कार्य प्रारम्भ किया गया । गतवर्ष के स्वीकृत **नवीन मण्डी स्थल**

अछल्दा, मुस्करा, चन्दौली, बाराबंकी, रूदौली **उपमण्डी स्थल** रिच्छा, देवचरा, औरंगाबाद, किशनी, जसराना, **फल सब्जी मण्डी स्थल** भौती (कानपुर), फर्रूखाबाद, कर्नेलगंज, गोण्डा, **पुष्प मण्डी स्थल** नोएडा (गाजियाबाद) एवं **दुग्ध मण्डी स्थल** गोरखपुर का निर्माण कार्य प्रगति पर है। **नवीन मण्डी स्थल** नौगढ़ तथा अकबरपुर के कार्य प्रारम्भ कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

वर्तमान समय में मण्डी समिति, पयागपुर (श्रावस्ती), खागा (फतेहपुर), छुटमलपुर (सहारनपुर), टाण्डा (अम्बेडकरनगर), बिलासपुर (रामपुर), मिहीपुरवा (बहराइच), उतरौला (बलरामपुर) एवं उपमण्डी स्थल गोवर्धन (मथुरा), नवाबगंज (बरेली), मलिहाबाद (लखनऊ) के भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही प्रगति पर है।

(ख) सड़कों का निर्माण :

कृषि उत्पादों को मण्डियों तक सुगमतापूर्वक लाने के उद्देश्य से मण्डी समितियों द्वारा सम्पर्क मार्गों का निर्माण कराया जा रहा है। नवम्बर, 2007 तक कुल 11,748 कि.मी. पक्की सड़कों का निर्माण कराया जा चुका है। विगत छः माह में 215 कि. मी. नवीन सम्पर्क मार्ग निर्मित कराये गये तथा 56 कि.मी. मरम्मत का कार्य पूर्ण कराने के साथ–साथ 757 कि.मी. की स्वीकृतियाँ निर्गत की गयी।

वित्तीय वर्ष 2006–2007 में नई सड़कों के निर्माण एवं पूर्व निर्मित सम्पर्क मार्गों की मरम्मत किए जाने हेतु रु. 128.67 करोड़ का प्राविधान किया गया तथा मार्ग अनुरक्षण हेतु विशेष प्रबन्ध किया गया है ।

किसानों हेतु कल्याणकारी योजनाएँ

नवीन मण्डी स्थलों तथा मण्डी क्षेत्रों में विकास कार्यक्रमों के साथ–साथ किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए मण्डी परिषद द्वारा कई कल्याणकारी योजनाएँ भी चलायी जा रही है। कुछ प्रमुख योजनाएँ इस प्रकार है–

1. खलिहान अग्नि दुर्घटना सहायता योजना :

उत्तर प्रदेश के अधिसूचित मण्डी क्षेत्रों के अंतर्गत खलिहानों में मड़ाई हेतु रखी फसल/उपज/अवशेष अंश की अग्नि दुर्घटना से हुई क्षति की तत्काल पर्ति हेतु अब जिलाधिकारी के स्थान पर सम्बन्धित मण्डी समिति क्षेत्र के परगनाधिकारी/ उप जिलाधिकारी को दावा स्वीकृत करने का अधिकार प्रदान कर दिया गया है।

(क) योजना का कार्यक्षेत्र :

मड़ाई हेतु खलिहान में एकत्रित फसल सामान्यतः 45 दिनों तक तथा असामान्य अवस्था (प्रतिकूल मौसम) में 60 दिनों तक वाह्य दृष्टिगत कारणों द्वारा हुई दुर्घटना से अथवा तड़ित (लाइटनिंग) द्वारा लगी अग्नि से हुई हानि तथा उ0प्र0 राज्य के अंतर्गत मण्डी परिषद द्वारा अधिसूचित सभी मण्डी क्षेत्र ।

(ख) अवधि :

दिनांक 01.07.2005 से 30.06.2010 तक

(ग) देय धनराशि :

जोत सीमा के आधार पर निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशि देय होगी :–

	जोत सीमा	देय धनराशि
(अ)	**सीमान्त कृषक :** एक हेक्टेयर अर्थात् 2.5 एकड़ भूमि रखने वाले को	अधिकतम रूपये 5,000/– अथवा वास्तविक आंकलिक क्षति जो भी कम हो।
(ब)	**लघु कृषक :** एक हेक्टेयर से दो हेक्टेयर अर्थात् 2.5 एकड़ से 5 एकड़ तक भूमि रखने वाले को–	अधिकतम् रूपये 7,500/– अथवा वास्तविक आंकलिक क्षति जो भी कम हो।

(स)	**सामान्य कृषक :** 2 हेक्टेयर या 5 एकड़ से अधिक भूमि रखने वाले को	अधिकतम रूपये 10,000/– अथवा वास्तविक आंकलित क्षति जो भी कम हो।

(घ) दावा निपटान (निष्पादन/निस्तारण) हेतु प्रक्रिया :–

1. अग्नि दुर्घटना की सूचना हेतु प्रभावित कृषक/उत्पादक द्वारा निर्धारित प्रारूप (निःशुल्क प्रार्थना–पत्र, जो मण्डी समिति कार्यालय में उपलबध है) पर घटना के अधिकतम 15 दिनों के अन्दर सचिव/सभापति, मण्डी समिति को प्रस्तुत करना आवश्यक है।

2. प्राप्त दावा की जांच मण्डी समिति के सचिव द्वारा करायी जाएगी तथा जाँच कार्य एक सप्ताह में पूर्ण करके अपनी अन्तिम आख्या सभापति, मण्डी समिति को अनिवार्यतः निर्धारित प्रारूप पर उनके द्वारा प्रस्तुत की जाएगी ।

3. खलिहान में अग्निकाण्ड अथवा योजना में परिभाषित दुर्घटना का संज्ञान होने पर सम्बन्धित मण्डी समिति के सचिव स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ मण्डी निरीक्षक से अन्यून किसी कर्मचारी से स्थलीय जाँच अनिवार्य रूप से करवायेंगे और लाभार्थी के दावा प्रतिपूर्ति को तैयार कराने में सहयोग करेंगे।

4. मण्डी समिति कार्यालय द्वारा दावा का विधिवत् परीक्षणोपरान्त उसके भुगतान सम्बन्धी कार्यवाही सम्बन्धित मण्डी समिति क्षेत्र के परगनाधिकारी/उपजिलाधिकारी का अनुमोदन लेकर किया जायेगा तथा लाभार्थी को भुगतान रेखांकित चेक से सचिव, मण्डी समिति द्वारा किया जायेगा ।

5. उपरोक्त समस्त कार्यवाही यथासम्भव एक माह में पूर्णकर ली जाएगी ।

6. दावों के भुगतान हेतु सम्भाग के मण्डियों को वाँछित धनराशि का बजट सम्भागीय उपनिदेशक (प्रशासन/विपणन) द्वारा नियमानुसार आवंटित किया जायेगा जिसका मण्डीवार विवरण सम्भागीय कार्यालय में रखा जायेगा। सम्भागीय उपनिदेशक (प्रशासन/विपणन) प्रत्येक माह के अन्त में इनपुट/प्रपत्रों के साथ दोनों योजनाओं से सम्बन्धित सूचना परिषद द्वारा निर्धारित प्रारूप पर अनिवार्य रूप से मुख्यालय को उपलब्ध करायेंगे ।

2. सामूहिक जनता व्यक्तिगत दुर्घटना सहायता योजना :–

उत्तर प्रदेश के अधिसूचित मण्डी क्षेत्रों में किसानों, खेतिहर मजदूरों तथा मण्डी समिति/परिषद के मजदूरों जो कृषि कार्य अथवा कृषि उपकरणों के संचालन में संलग्न हैं अथवा कृषि सम्बन्धी बिजली उपकरणों अथवा कुओं की खुदाई अथवा गइराई बढ़ाने हेतु कार्यरत हैं अर्थात् ट्रैक्टर का उपयोग कृषि उत्पादन की ढुलाई/थ्रेसिंग करते समय तथा अन्य कृषि कार्य करते समय दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं और उसके फलस्वरूप शारीरिक क्षति/अपंगता या मृत्यु हो जाती है तो उसकी क्षतिपूर्ति हेतु मण्डी परिषद द्वारा मण्डी समितियों के माध्यम से सम्बन्धित मण्डी समिति के क्षेत्र के परगनाधिकारी/उप जिलाधिकारी द्वारा उक्त योजना क्रियान्वित की जा रही है।

(क) योजना आवरण का कार्यक्षेत्र :

इस योजना के अंतर्गत क्षति पूर्ति हेतु प्रार्थना–पत्र दुर्घटना से मृत्यु अथवा विकलांगता जिसमें कि अंग की हानि शामिल है (शरीर से अलग होने पर) एवं आँखों की क्षति कृषि एवं कृषि से सम्बन्धित कार्य करते समय होने पर ही स्वीकार होगी । इस योजना का कार्य खेत्र केवल उ0प्र0 है। उ0प्र0 के समस्त कृषक तथा खेतिहर मजदूर एवं मण्डी परिषद के मजदूर जो केवल कृषि अथवा कृषि से सम्बन्धित कार्य में सम्मिलित रहते हुए अथवा मण्डी परिषद के मुख्य बाजार (हाता यार्ड/ उप बाजार/सब यार्ड) जहाँ

खाद्य आपूर्ति विभाग या खाद्य निगम या अन्य कृषि उत्पादकों एवं खरीददारों के मध्य कृषि उत्पादन का क्रय–विक्रय करते हुए दुर्घटना ग्रस्त होने से मृत्यु अथवा शारीरिक क्षति हो गई हो तो इस सहायता योजना की सीमा क्षेत्र के अंतर्गत आयेंगे ।

(ख) अवधि :

दिनांक 01.07.2005 से 30.06.2010 तक ।

(ग) विविध शर्तें व नियम :

1. योजना के अंतर्गत क्षति पूर्ति हेतु दावा स्वीकार करने के लिए पात्रता की आयु सीमा केवल 18 से 60 वर्ष के मध्य ही होगी तथा 30 दिन के अन्दर आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

2. यह योजना केवल उ0प्र0 के निवासियों–कृषकों, खेतिहर या मण्डी मजदूरों पर ही लागू होगी । यह ध्यान देने की बात है कि दुर्घटना केवल उ0प्र0 की भौगोलिक सीमा में ही घटित हुई हुई हो। परन्तु यदि किसी दूसरे प्रान्त का कृषक/मजदूर दो वर्षों से उ0प्र0 का स्थायी निवासी है, इसकी पुष्टि तहसीलदार द्वारा की गई है तो वह इस योजना के अंतर्गत संरक्षित माना जायेगा।

3. इस योजना के अंतर्गत जैसा कि दुर्घटना की परिभाषा से स्पष्ट है कि कृषक उपकरण/खाद्य रसायन/बैलगाड़ी/ट्रैक्टर/ट्राली का उपयोग केवल कृषि कार्य करने हेतु अथवा ढुलाई के समय सड़क पर दुर्घटना हो जाने अथवा मजदूरों द्वारा पल्लेदारी अथवा बैल/गाय इत्यादि द्वारा सींघ मारने से अथवा विषैले जन्तुओं के केवल कृषि कार्य करते समय खेत में काटने से, ये सभी

दुर्घटनाएँ बाह्य हिसंक दृष्टिगत कारणों के द्वारा हुई समझी जाएगी और इस योजना के अंतर्गत संरक्षित मानी जाएगी ।

4. किसी भी दुर्घटना में किसी अंग के विच्छेद होने की दशा में कम से कम निकटतम प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्सक से अथवा किसी भी सरकारी अस्पताल से चिकित्सा प्रमाण–पत्र प्राप्त करना आवश्यक है। साथ ही क्षतिग्रस्त अंग का रंगीन फोटोग्राफ एवं पूर्ण विवरण सहित प्रार्थना–पत्र प्रार्थी के निकटतम दो रिश्तेदारों के द्वारा सत्यापित होना चाहिए। मृत्यु होने पर शव–विच्छेदन होने का प्रमाण–पत्र देना आवश्यक है ।

5. जान बूझकर शरीर को पहुँचायी गयी क्षति/चोट/आत्महत्या/नशे की हालत में हुई शारीरिक क्षति अथवा मृत्यु या असंवैधानिक /असामाजिक/उग्रवाद/आतंकवाद या दंगा–फसाद अथवा/बाढ़/भूकम्प/युद्ध/आणविक/रेडियेशन (विकिरण) आदि घटनाओं से अथवा शत्रुता द्वारा की गयी मारपीट/झगड़ा अथवा कानूनी कार्यवाही हेतु किसी न्यायिक दण्डाधिकारी द्वारा विधि के अंतर्गत दी गई सजा द्वारा मृत्यु अथवा शारीरिक क्षति इस योजना के अंतर्गत संरक्षित नहीं है, उनकी क्षति पूर्ति किसी भी दशा में नहीं की जा सकती है ।

(घ) वित्तीय सहायता की विवरणिका :

(क)	दुर्घटना द्वारा मृत्यु होने पर	रुपये 50,000/–
(ख)	दुर्घटना द्वारा दोनों पैर, दोनों हाथ या दोनों आँखें या उपरोक्त में से कोई दो की क्षति होने पर–	रुपये 30,000/–

(ग)	दुर्घटना द्वारा एक हाथ, एक पैर अथवा एक आँख की क्षति होने पर–	रुपये 15,000/–
(घ)	दुर्घटना द्वारा एक हाथ की एक साथ चार उंगलियों की क्षति होने पर–	रुपये 14,000/–
(ड.)	दुर्घटना द्वारा एक हाथ की तीन उंगलियों की क्षति होने पर –	रुपये 10,000/–
(च)	दुर्घटना द्वारा एक हाथ की दो उंगलियों की क्षति होने पर–	रुपये 6,000/–
(छ)	अंगूठे की क्षति होने पर–	रुपये 9,000/–
(ज)	छोटी अंगुली की क्षति होने पर–	रुपये 1500/–

4. छात्रवृत्ति योजना

किसानों के प्रतिभावान बच्चे जो कृषि की उच्च शिक्षा ले रहे हैं और रोजगारपरक शिक्षा सहित भविष्य में कृषि क्षेत्र को अपने विशेष ज्ञान का लाभ देंगे, उन्हें सम्पूर्ण स्नातक तथवा स्नातकोत्तर अध्ययन हेतु प्रदेश के 3 कृषि विश्वविद्यालयों, 2 कृषि संस्थानों तथा 24 कृषि महाविद्यालयों में कृषि शिक्षा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मण्डी परिषद द्वारा **छात्रवृत्ति योजना** चलाई जा रही है।

विवरण इस प्रकार है–

शिक्षा संस्था	**छात्रवृत्ति** **प्रति छात्र /प्रतिमाह**	**छात्रों की संख्या**
प्रत्येक कृषि वि.वि./ कृषि संस्थान	**रु. 1000/–**	स्नातक स्तर के – 20 स्नातकोत्तर स्तर के – 05
प्रत्येक कृषि महाविद्यालय	**रु. 1000/–**	स्नातक स्तर के – 08 स्नातकोत्तर स्तर के – 03
कृषि विश्वविद्यालय में अध्ययनरत् होम साइंस की छात्राओं हेतु नई योजना	**रु. 1000/–**	स्नातक स्तर के – 04 स्नातकोत्तर स्तर के – 02

5. कृषक हेल्प लाइप

मण्डी परिषद् ने किसानों के हित में **कृषक हेल्प लाइन** सेवा का वित्तीय पोषण किया है। यह योजना कृषकों के हित से सीधी जुड़ी हुई है और पूरे देश में अपने आप में अलग है क्योंकि यह **फ्री काल** पर आधारित है । प्रत्येक कार्य दिवस में 1.00 बजे से 3.00 बजे के मध्य दूरभाष संख्या **1600335122** पर चन्द्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर तथा इलाहाबाद डीम्ड कृषि विश्वविद्यालय द्वारा 11.00 बजे से 3.00 बजे के मध्य दूरभाष नं. **1600335122** पर कार्यालीय कार्य दिवसों में प्रदेश के किसी भी किसान भाई द्वारा कृषि के विभिन्न पहलुओं एवं फसलोत्पादन से सम्बन्धित प्रश्न पूदने पर वहां तैनात किये गये कृषि वैज्ञानिकों से समुचित जवाब प्राप्त होंगे ।

जिन्सों की बाजार दरें, संचालित योजनाओं तथा मण्डियों के क्रिया–कलापों की जानकारी किसान भाईयों को देने हेतु प्रदेश में स्थित मण्डी परिषद के सम्भागीय कार्यालयों में 'मण्डी हेल्प लाइन' योजना को प्रारम्भ किया गया है ।

6. मण्डी आवक – किसान उपहार योजना :

इस योजना का उद्देश्य यह है कि किसान भाई अपनी उपज सीधे मण्डी स्थल में स्वयं लायें और नीलामी द्वारा बिक्री उपरान्त व्यापारियों से 6–आर पर्चा अवश्य प्राप्त करें जिससे बिचौलियों के शोषण से उनकी मुक्ति हो सके और उन्हें अपनी उपज का वास्तविक भुगतान प्राप्त हो सके ।

योजना के अंतर्गत रुपये 5000/– तक के मूल्य के 6–आर पर्चे पर एक ईनामी कूपन समिति कार्यालय पर मिलेगा। इस कूपन को तिमाही और छमाही में लाटरी द्वारा निकाले जाने वाले ईनाम में सम्मिलित किया जायेगा ।

त्रैमासिक ड्रा –

प्रत्येक त्रैमास की समाप्ति पर प्रत्येक सम्भाग में निम्नवत् उपहारों का वितरण होगा–

त्रैमासिक ड्रा–

प्रत्येक त्रैमास की समाप्ति पर प्रत्येक सम्भाग में निम्नवत् उपहार का वितरण होगा–

उपहार	उपहार की वस्तु	प्रत्येक सम्भाग में उपहारों की संख्या
प्रथम	सीड ड्रिल	एक
द्वितीय	स्प्रेयर (कंधे पर टांगने वाला)	दो
तृतीय	धातु निर्मित बखारी (5 कुंतल)	तीन

छमाही बम्पर ड्रा–

उपहार	उपहार की वस्तु	प्रत्येक सम्भाग में उपहारों की संख्या
प्रथम	ट्रैक्टर (35 हार्स पावर)	एक
द्वितीय	राइस ट्रांसप्लान्टर	एक
तृतीय	पावर ट्रिलर	एक

प्रत्येक में मण्डी परिषद के 15 प्रशासकीय सम्भागों द्वारा अपने–अपने क्षेत्र में प्रत्येक सम्भाग में प्रति त्रैमास 6 किसानों को तथा वर्ष में दो बार 3–3 किसानों को उपहार प्रदान करते हुए प्रति वर्ष 450 किसानों को लाभान्वित किये जाने का लख्य है। प्रदेश में अब तक 1620 किसान लाभान्वित हो चुके हैं।

7. मण्डियों के बृहद कम्प्यूटीकरण की योजना :

प्रदेश में पहली बार 242 प्रमुख मण्डियों में कम्प्यूटर उपलब्ध कराकर कम्प्यूटराइजेशन सहित फसलोत्तर प्रबन्धन (Post Harvest Management) हेतु आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित कराने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई हैं। मण्डी परिषद/मण्डी समितियों की सूचनाओं को घर बैठे उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से नई वेबसाइट विकसित करायी गयी है जिसका पता **www.upmandiparishad.in** है।

8. लोहिया ग्राम योजना :

मण्डी परिषद द्वारा प्रदेश के कृषकों के कल्याण हेतु प्रदेश स्तर पर वर्ष 2006–2007 में 1000 पिछड़े गांवों को चिन्हित करके उनमें अवस्थापना सुविधायें यथा– सी.सी. रोड, नाली, शुद्ध पेयजल व्यवस्था तथा विद्युतीकरण की व्यवस्था आदि उपलब्ध कराने हेतु 100 करोड़ की लागत से इस योजना के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। इस प्रकार प्रदेश के 1710 गांवों को चयनित किया जा चुका है तथा 921 गांवों के कार्य पूर्ण करा लिये गये हैं। विगत 6 माह में 326 गांवों के निर्माण कार्य पूर्ण कराये गये।

सचिव
कृषि उत्पादन मण्डी समिति
सिकन्द्राराऊ